bilateral trade relations with the republic of commonwealth of Independent States (CIS); and

(b) if so, the steps taken by Government in that direction?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir.

(b) The Government of India is keen to re-establish and strengthen bilateral trade relation with CIS and the steps taken in this regard are as follows:

(i) Signing of new bilateral framework agreements on trade and economic cooperation with the newly emergent countries of the former Soviet Union and substitution of rupee payment trade by standard convertible currency trading agreements.

(ii) Evolution of a more liberal credit policy vis-a-vis CIS states (Credits worth US $ 55 million have already been advanced to Central Asian Republics).

(iii) Liberalization, in consultation with RBI, of consignment exports and warehousing regulation.

(iv) Identification and development of more viable transport and transit routes-commissioning of a multi-sectoral study team to study transit routes to Central Asia via Iran; initiatives on development of the port of Novorossisk for trade with Russia.

(v) Conclusion of bilateral air traffic agreements and commencement of direct flights to the new capitals of CIS.

(vi) Encouragement to establishment of direct business contacts inter alia through participation in trade fairs etc.

(vii) Setting up of Joint Commission, Joint Committees and holding of meetings.

(viii) In the case of Russia, a number of initiatives have been taken which include; (a) activation of the first meetings of the Indo-Russian Joint Commission followed by intensive follow-up; (b) high level visits including by the Prime Minister and Commerce Minister leading to intensive discussions with the top Russian leadership; (c) reiteration by the Russian side of the Commitment to evolve a mechanism to use debt re-payment funds and import of tea, tobacco, etc. on a long term basis; (d) formation and meeting of a sub-group on transport to address all transport related matters; (e) impetus to Joint Venture Banks etc.

कृषि उत्पादों, संसाधित खाद्य पदार्थों और मसालों का निर्यात किया जाना

117. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देशवार कृषि उत्पादों, संसाधित खाद्य पदार्थों और मसालों की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है;

(ख) उक्त निर्यात में देश के किन-किन राज्यों की हिस्सेदारी है; और

(ग) सरकार ने इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए विभिन्न कृषि जन्य मदों के विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपये)

क्रम सं॰	मद	1992-93	1993-94	1994-95 (अन॰)
1	चावल	975.60	1286.71	1181.21
2	गेहूं	10.21	0.21	30.85
3	अन्य खाद्यान्न	10.16	34.02	25.67
4	तम्बाकू	474.04	461.20	248.86
5	मसाले	393.42	568.91	606.48
6	काजू	748.66	1048.20	1244.26
7	सीसम एवं नाइजरशीड	116.22	73.51	142.24
8	मूंगफली	7.72	171.12	98.64
9	तेल खाद्य एवं ग्वार गौंद खाद्य	1648.47	2464.74	1937.49
10	शैलाक	41.07	65.47	46.03
11	चीनी एवं शीरा	353.51	178.08	62.09
12	फल, सब्जियां संसाधित फल इत्यादि	812.63	1061.22	1289.05
13	स्पिरिट एवं पेय	41.65	46.01	45.81
14.	दालें	53.44	73.58	90.36
		5686.80	7532.98	7049.04

(स्रोतः डीजीसीआईएंडएस, कलकत्ता) (पी) अनन्तिम

(ख) निर्यात के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) इस क्षेत्र में निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं: निरीक्षण क्रियाविधियों का सरलीकरण, न्यूनतम निर्यात कीमत तथा चुनिन्दा मदों पर गुणवत्ता प्रतिबंधों को हटाना, रियायती ऋण का प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद विकास, ईओयू/ईपीजेड की योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभों का कृषिक्षेत्र तक विस्तार करना तथा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में 50% बिक्री की अनुमति देना, उक्त पैकेजिंग के लिए निर्यातकों को सहायता, गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ़ करना, ब्रान्ड संवर्धन अभियानों के जरिए अभिज्ञात उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन तथा अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी।

ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन

118. **चौधरी हरमोहन सिंहः** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है अपने तथा अपनी सहयोगी कंपनियों के कर्मचारियों की निर्धारित तिथि तक वेतन का भुगतान न करके श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहा है;

(ख) क्या इस उपक्रम द्वारा कर्मचारियों की अंशदायी भविष्य निधि की राशि भी नियमित रूप से जमा नहीं की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।